कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-18.07.2024

विषयः- धमकाकर दुष्कर्म कर युवती का अश्लील वीडियो वायरल करने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त सर्वेश सरोज थाना मंडुवाडीह पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाईल फोन बरामद।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व मे थाना मंडुवाडीह पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-136/24 धारा 506, 376 भा.द.वि. व 67A IT Act थाना मंडुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त सर्वेश सरोज पुत्र दशरथ प्रसाद निवासी लहरतारा नई बस्ती थाना मंडुवाडीह जनपद वाराणसी को आज दिनांक-18.07.2024 को समय करीब 10.35 बजे प्राचीन लहरतारा कबीर मठ वाली गली संत कबीर उद्भव स्थल लहरतारा वाराणसी के लगे बोर्ड के पास थाना मंडुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाईल फोन बरामद किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना मंडुवाडीह पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 17.07.2024 को पीड़िता के पिता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी के मकान का किरायेदार विपक्षी सर्वेश सरोज द्वारा वादी की पुत्री का बाथरूम में नहाते समय चोरी से अपनी मोबाईल में उसकी वीडियो व फोटो बना लिया गया तथा उक्त वीडियो व फोटो दिखाकर डरा धमकाकर पीड़ता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाकर अपने मोबाईल से उसकी अश्लील वीडियो व फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके आधार पर थाना मंडुवाडीह मे मु0अ0सं0-136/24 धारा 506, 376 भा.द.वि. व 67A IT Act पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्र0नि0 भरत उपाध्याय द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सर्वेश सरोज पुत्र श्री दशरथ प्रसाद निवासी लहरतारा नई बस्ती थाना मंडुवाडीह वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- प्राचीन लहरतारा कबीर मठ वाली गली संत कबीर उद्भव स्थल लहरतारा वाराणसी की लगे बोर्ड के पास थाना मंडुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी, दिनांक 18.07.2024 समय 10.35 बजे।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त एक अदद रेडमी मोबाईल फोन।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त- मु0अ0सं0-136/24 धारा 506, 376 भा.द.वि. व 67A IT Act थाना मंडुवाडीह

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक भरत उपाध्याय थाना मंडुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
2. हे0का0 सुनील कुमार राय थाना मंडुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 अवनीश यादव थाना मंडुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0चा0 सचिन्द्र कुमार गौड़ थाना मंडुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।